www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 10 जुलाई 2019

दैनिक जागरण

शिक्षा में किया निवेश जीवनपर्यंत लाभ देता है

घुसपैठ में कमी

लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से दी गई यह जानकारी संतोष प्रदान करने वाली है कि पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ में कमी आई है। उनके अनुसार बीते छह माह में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में कमी आने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के हालात भी सुधरते दिख रहे हैं। घुसपैठ के साथ उसके प्रयासों में भी कमी दर्ज होना यह बताता है कि आतंकियों का दुस्साहस पस्त पड़ा है। निःसंदेह इसकी एक बड़ी वजह बालाकोट में भारतीय वायुसेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक रही। इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने का काम किया, इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि कश्मीरियों के बंदूक उठाने यानी आतंक के रास्ते पर जाने का सिलसिला भी कुछ धीमा पड़ा है। इस सबके बावजूद चैन से नहीं बैठा जा सकता और न ही यह माना जा सकता है कि पाकिस्तान नए सिरे से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश नहीं करेगा। चूंकि आसार इसी के हैं कि वह आसानी से अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला इसलिए उस पर दबाव बनाए रखा जाना चाहिए। इसके लिए न केवल सीमा पर सतर्कता दिखाने की जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश देने की भी कि अगर उसने कश्मीर में हस्तक्षेप किया तो बालाकोट दोहराया भी जा सकता है। वास्तव में पाकिस्तान पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक वह भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को पालने-पोसने की अपनी नीति का परित्याग नहीं करता।

यह अच्छा है कि भारत ने इस बात को स्पष्ट करने में देर नहीं की कि वह आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई को दिखावटी ही मानता है। भारत इसकी अनदेखी नही कर सकता कि पाकिस्तान मुंबई और साथ ही पठानकोट में हमले के गुनहगारों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से इन्कार ही कर रहा है। भारत को इस पर भी निगाह रखनी होगी कि अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच जारी बातचीत किस नतीजे की ओर बढ़ रही है। अगर दोनों में कोई समझौता होता है तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ सकता है। यह भारत के हित में नहीं होगा। अब जब यह स्पष्ट है कि अमेरिका एक सीमा तक ही भारत के हितों की चिंता कर रहा है तब फिर यह आवश्यक है कि भारतीय नेतृत्व अपने बलबूते पाकिस्तान पर अंकुश लगाने के उपाय करे। इसी तरह कश्मीर के हालात में सुधार दिखने के बावजूद यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यहां सक्रिय पाकिस्तानपरस्त तत्व पस्त पड़ें। यह ठीक नहीं कि ऐसे तत्व खुले आम अपने को पाकिस्तानी बताते हुए आतंकियों का गुणगान कर रहे हैं। यह भी चिंताजनक है कि मुख्यधारा के नेता अलगाववादियों जैसी भाषा बोल रहे हैं। चूंकि कश्मीर घाटी के हालात में उतार-चढ़ाव कोई नई बात नहीं इसलिए वहां सीमा पर और सीमा के अंदर की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। यह जरूरत इसलिए और भी है, क्योंकि वहां के हालात आसानी से सामान्य नहीं होने वाले।

अस्पतालों की बदहाली

गरीब की इलाज के अभाव में मौत न हो, कुछ ऐसी ही सोच के साथ केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना धरातल पर उतारी, पर एक बात तो सर्वविदित है कि जब तक संसाधन दुरुस्त नहीं होंगे, गरीबों का पुख्ता इलाज नहीं हो सकेगा। झारखंड के हर जिले में आए दिन अस्पतालों की कुव्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण मौत के मामले सामने आते हैं। धनबाद की बात करें तो यहां के सबसे बड़े पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन तक की बेहतर व्यवस्था नहीं है। अक्सर इसकी कमी के कारण हंगामे होते हैं। यहां 15 करोड़ की लागत से डेढ़ वर्ष से कैथ लैब बनकर तैयार है, यह कब खुलेगी पता नहीं। यह खुल जाती तो हृदय रोगियों के इलाज में राहत होती। यहां दो वर्ष से बर्न यूनिट बनकर तैयार है। 45 लाख रुपये खर्च हुए, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में खून की कमी के कारण भी कई लोगों की जान जा चुकी है। दवाओं की कमी तो पूरे साल रहती है। ट्रॉमा सेंटर की आवाज वर्षों से उठ रही है। गत वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का धनबाद दौरा हुआ था। उनके सामने भी ट्रॉमा सेंटर की बात उठी थी, पर वह नक्कारखाने में तूती बनकर रह गई। यह हाल तब है जब इस अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन करीब 18 सौ मरीज आते हैं। जब जिले के सबसे बड़े अस्पताल का यह हाल है तो दूर-दराज गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। और तो और, यहां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट की संख्या में करीब 40 प्रतिशत की कमी है। इसका भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन गंभीर समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना होगा। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। उनको समुचित संसाधनों से लैस करना होगा, ताकि गरीबों को उचित उपचार मिल सके। इसके लिए सिविल सर्जन से लेकर अन्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। संसाधन की कमी न हो, इसपर भी ध्यान देना होगा। जनता को सरकार से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आस है।

खुद अपनी मानहानि कराते राहुल

सुरेंद्र किशोर

इसमें कौन सी होशियारी है कि विरोधियों पर निराधार आरोप लगाकर राहुल अदालतों के चक्कर काटते रहें और खुद को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से वंचित रखें?

अवधेश राजपूत

पटना की अदालत से मानहानि के मामले में जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 'मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं।' क्या किसी पर मानहानि का मुकदमा करना संविधान के खिलाफ है? इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने भी मानहानि के एक अन्य मुकदमे में उन्हें हाल में जमानत दी है। पटना के मामले में जमानत मिलने के बाद छह जुलाई को राहुल गांधी ने कहा कि 'भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मुझे तंग कर रहे हैं।' आप किसी की मानहानि करें और पीड़ित पक्ष मामला दायर कर दे तो यह कौन सा तर्क हुआ कि आपको तंग किया जा रहा है? यह तो वही बात हुई कि आप किसी की पिटाई भी कर दें और उसे रोने का भी अधिकार न दें। मानहानि के ऐसे मुकदमों में होता यह है कि या तो आप अपने आरोपों को अदालत में सिद्ध करें या प्रार्थी से माफी मांग कर समझौता कर लें। अदालतें समझौते की अनुमति आसानी से दे देती हैं। उससे अमूमन मामला सुलझ जाता है, लेकिन माफी मांगने की जगह राहुल गांधी खुद को पीड़ित बता रहे हैं। अभी वह समझौते की मुद्रा में नहीं दिखते। संभवतः वह उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने कहा है कि 'जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है। राहुल की मानें तो राजनीतिक कारणों से उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। आखिर इस बात में कौन सी होशियारी है कि किसी पर निराधार आरोप लगाकर आप देश की कचहरियों के चक्कर काटते रहें और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से खुद को वंचित रखें? क्या राहुल गांधी देश में आपातकाल जैसी व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं या उसकी इच्छा रखते हैं। या फिर वह किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाकर बच निकलना चाहते हैं? कांग्रेस में ऐसी प्रवृत्ति आपातकाल में दिखती थी। तब अपनी गद्दी बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित एक लाख से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न जेलों में ठूंस दिया गया। उन्हें अदालत जाने से वंचित करने के साथ प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया। यह कानूनी-प्रशासनिक प्रबंध भी कर दिया गया था कि कहीं से न तो कोई लोकतांत्रिक आवाज उठे और न ही किसी अखबार में सरकार की हल्की आलोचना भी छपे। इतना ही नहीं, तब इंदिरा गांधी सरकार ने 10 अगस्त 1975 को संसद से संविधान में 39 वां संशोधन पास करवा दिया। इसके तहत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई से अदालतों को वंचित कर दिया गया था। यह बिल्कुल असामान्य बात थी। याद रहे कि इसी अधिकार से 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को अवैध करार दिया था। गनीमत रही कि बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने इस संशोधन को निरस्त करा दिया।

आपातकाल में चुपके-चुपके एक और संवैधानिक संशोधन का मसौदा तैयार हो रहा था। उसके तहत यह प्रावधान किया जाने वाला था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी कुछ बड़ी हस्तियों पर किसी भी तरह के मुकदमे नहीं चलाए जा सकेंगे, मगर बाद में इंदिरा सरकार ने वह विचार त्याग दिया। यह आपातकालीन मानसिकता ही है कि किसी बड़ी हस्ती को कानून के दायरे से ऊपर कर दिया जाए यानी उस पर किसी तरह का कोई कानून लागू ही न हो। किसी व्यक्ति की आप सार्वजनिक रूप से चाहे जितनी भी मानहानि कर दें, पर आपके खिलाफ कानून का सहारा न लिया जाए। लिया जाएगा तो आप आरोप लगाएंगे कि मुझे नाहक परेशान किया जा रहा है। क्या आप कानून से ऊपर हैं जिस तरह आपातकाल में इंदिरा गांधी ने खुद को कर लिया था?

आज देश में लोकतंत्र है। कानून का शासन है। लोगों को अपनी जान और प्रतिष्ठा की रक्षा का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वे सरेआम किसी की इज्जत उतारते चलें और जिसका अपमान हो वह अदालत भी न जा सके। क्या राहुल यही चाहते हैं? आपातकाल में अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यदि शासन किसी की जान ले ले तब भी उसके खिलाफ किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। क्या राहुल का मौजूदा रुख आपातकाल का ही हैंगओवर यानी खुमार है? क्या इसे आपातकाल वाली मानसिकता नहीं कहा जाएगा? गौरी लंकेश की हत्या की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कोई जब भाजपा और संघ की विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो उस पर दबाव डाला जाता है, उस पर हमला होता है। यहां तक कि उसकी हत्या भी हो जाती है। इस बयान के बाद मुंबई की अदालत में आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के खिलाफ 2017 में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसी सिलसिले में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने 4 जुलाई को मुंबई की अदालत में हाजिर होकर जमानत ली।

आम चुनाव के दौरान 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार की चुनाव सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि 'नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो, सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है?' जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा तो राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार यह कहते रहे, 'चौकीदार चोर है।' यही बात वह श्रोताओं से भी बुलवाते रहे। यह गनीमत है कि खुद प्रधानमंत्री ने उन पर मानहानि का मुकदमा नहीं किया। हां, देश के अधिकांश मतदाताओं ने राहुल गांधी के इस आरोप पर विश्वास नहीं किया, पर बिहार के उप-मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने पटना की अदालत में जरूर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अब उसकी सुनवाई चलेगी। सुशील मोदी के अनुसार, 'चुनाव जीतने के लिए राहुल ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। ईमानदार प्रधानमंत्री को चोर कहा। माफी मांगने के बदले खुद को पीड़ित बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा उन्हें परेशान कर रही है।'

अब राहुल गांधी के समक्ष विकल्प सीमित हैं। या तो वह मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को अदालती सुनवाई के दौरान चोर साबित कर दें जो एक असंभव बात है या फिर सुशील मोदी से माफी मांग लें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो अदालती फैसले का इंतजार करें, क्योंकि संकेत हैं कि माफी के बिना सुशील मोदी मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं हैं। इस मुकदमे के साथ एक बड़ा मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आज सार्वजनिक संवाद और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का स्तर काफी नीचे गिर गया है। विशेषकर चुनाव प्रचार के दौरान बड़े-बड़े नेता भी आए दिन मर्यादा लांघ जाते हैं। कई साल पहले एक बड़े नेता ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान के अशालीन आरोप-प्रत्यारोपों को होली की गाली मानकर भुला दिया जाना चाहिए। मगर लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के संवाद का स्तर उस सीमा रेखा को भी लांघ गया। अच्छा होगा यदि मौजूदा मुकदमा सार्वजनिक जीवन में बोली की मर्यादा कायम करने में मदद करे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कानून के शासन पर गंभीर सवाल

राजीव सचान

यह एक खतरनाक चलन है कि अन्याय, अराजकता का विरोध करने वाली भीड़ भी उपद्रव करती दिख रही है

इस पर कोई भी यकीन के साथ कह सकता है कि प्रबल बहुमत से सत्ता में लौटी मोदी सरकार का रक्षा-सुरक्षा पर खासा जोर है, लेकिन यह भरोसे के साथ कहना कठिन है कि आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना भी उसके एजेंडे में है। आंतरिक सुरक्षा की पहली कड़ी है पुलिस और वह किस तरह संसाधनों एवं संख्याबल से हीन है, इसका ताजा प्रमाण पिछले दिनों गृह मंत्रालय की ओर से सामने आया वह आंकड़ा है जो यह कहता है कि विभिन्न राज्यों में पुलिसकर्मियों के 5 लाख 28 हजार पद रिक्त हैं। ऐसा आंकड़ा पहली बार सामने नहीं आया। 2017 में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि विभिन्न राज्यों में पुलिसकर्मियों के तमाम पद खाली पड़े हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को यह आदेश दिया था कि वे इन रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरें। पीठ ने इस भर्ती प्रक्रिया की निगरानी का काम भी अपने हाथ लिया। उक्त याचिका में 2015 तक के आंकड़ों का जिक्र था और उनके अनुसार देश में 5 लाख 52 हजार पुलिस कर्मियों की कमी है। ताजा आंकड़ा कह रहा है कि पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों की संख्या 5 लाख 28 हजार है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी केवल 24 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा सकी। इसमें एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में की गईं पुलिस भर्तियों का रहा। इससे इसी भ्रम का निवारण होता है कि सुप्रीम कोर्ट सब चीजों को ठीक कर सकता है। इसकी पुष्टि पुलिस सुधार संबंधी उसके दिशा निर्देशों पर अमल न होने से होती है। ये दिशानिर्देश 2006 में दिए गए थे, लेकिन उन पर न तो केंद्र सरकारों ने ध्यान दिया और न ही राज्य सरकारों ने। 2014 में यह जो उम्मीद बंधी थी कि मोदी सरकार कम से कम केंद्र शासित और भाजपा शासित राज्यों में तो इन दिशा निर्देशों को लागू कराने का काम ही करेगी, लेकिन बीते पांच सालों में ऐसा नहीं हुआ। कहना कठिन है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह उम्मीद पूरी होती है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए पुलिस सुधारों संबंधी दिशा निर्देशों पर सही तरह से अमल न हो पाने और पुलिस के संख्याबल के अभाव से जूझने का सबसे अधिक दुष्परिणाम कानून के शासन को उठाना पड़ा है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि समय के साथ पुलिस पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। बतौर उदाहरण अब उसे सोशल मीडिया के जरिये की जाने वाली खुराफात से भी निपटना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नीति-नियंता यह समझने को तैयार नहीं कि संसाधनहीन पुलिस कानून एवं व्यवस्था की सही तरह रखवाली कैसे कर सकती है? इन दिनों भीड़ की हिंसा चर्चा में है। यह होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी हिंसा देश की बदनामी का कारण बनती है, लेकिन भीड़ की हिंसा वही नहीं जो झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में चोरी के आरोप में पिटे तबरेज अंसारी की मौत से सामने आई। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों पर धावा बोलकर उन्हें अधमरा करना भी भीड़ की हिंसा थी। इसके बाद दिल्ली में एक कार चोर की हरकत से गुस्साए लोगों की ओर से वाहनों में की गई तोड़फोड़ भी भीड़ की हिंसा थी। इसी तरह दिल्ली में ही एक मंदिर में की गई तोड़फोड़ भी भीड़ की हिंसा थी।

वास्तव में यह एक नया चलन बन रहा है कि न्याय मांगने, अन्याय का विरोध करने या फिर अपनी नाराजगी जाहिर करने के नाम पर लोगों की भीड़ हिंसा का सहारा ले रही है। इसका ताजा उदाहरण जयपुर में तब देखने को मिला जब एक बच्ची से दुष्कर्म की घटना के विरोध में हिंसा का सहारा लिया गया। यह विरोध इतने हिंसक तरीके से किया गया कि कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए और हालात काबू में करने के लिए जयपुर के 13 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं। न्याय मांगने अथवा अन्याय का विरोध करने या फिर विरोध जताने के नाम पर सड़कों पर उतरी भीड़ का हिंसक व्यवहार एक बेहद खतरनाक चलन है। अगर इस चलन को रोका नहीं गया तो कानून एवं व्यवस्था में गिरावट को थामना मुश्किल होगा। भीड़ की हिंसा अथवा अन्य अराजक अथवा अन्यायपूर्ण घटनाओं का विरोध होना ही चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हो रहा है। यह कानून के शासन पर एक गंभीर सवाल ही है कि भीड़ की हिंसा का विरोध करने वाली भीड़ भी उपद्रव करती दिखे। भीड़ की पिटाई से तबरेज अंसारी की मौत का विरोध करने के नाम पर पहले सूरत में अराजकता का प्रदर्शन किया गया, फिर रांची में। इसी के साथ देश के कुछ अन्य शहरों में उक्त घटना का विरोध हिंसक तरीके से किया गया। जितना जरूरी यह है कि भीड़ की हिंसा रुके उतना ही यह भी कि ऐसी हिंसा के विरोध के नाम पर किया जाने वाला हिंसक व्यवहार भी थमे। पता नहीं यह सिलसिला कैसे रुकेगा, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि पुलिस भीड़ को मनमानी करने से रोकने के उपाय अच्छी तरह जानती है। वह अपना काम सही तरह से कर सकती है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त संसाधन हों।

चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है इसलिए पुलिस को सक्षम बनाना उनका ही काम है, लेकिन केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपने हिस्से का यह काम प्राथमिकता के आधार पर करें। यह चिंताजनक है कि कानून एवं व्यवस्था के समक्ष उभरती गंभीर चुनौतियों के बावजूद पुलिस सुधारों पर अमल की कोई सूरत नहीं दिख रही है। पुलिसकर्मियों के लाखों रिक्त पद यही बताते हैं कि कानून एवं व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति अपेक्षित गंभीरता का परिचय देने से इन्कार किया जा रहा है? आवश्यक केवल यही नहीं है कि पुलिस कर्मियों के रिक्त पद तेजी से भरे जाएं, बल्कि यह भी है कि पुलिस को आवश्यक संसाधनों से लैस भी किया जाए। निःसंदेह इससे भी ज्यादा आवश्यक यह है कि न्याय मांगने अथवा अन्याय का विरोध करने के नाम पर कोई भी अराजकता का प्रदर्शन न कर सके। जो करे उसके खिलाफ नजीर बनने वाली सख्ती का परिचय देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है और इसीलिए हर तरह की अराजकता बढ़ती चली जा रही है। यह अराजकता कानून के शासन का उपहास उड़ाने और साथ ही पुलिस के बचे-खुचे इकबाल को कम करने वाली है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहिंसा से लाभ

किसी को मारना-पीटना, खून-खराबा और उसका विचार करना भी हिंसा है। मारपीट, खून-खराबे के चलते तो बड़े-बड़े राजा-महाराजा बर्बाद हो गए तो सामान्य व्यक्ति की क्या औकात? शास्त्रों में क्रोध, द्वेष, कटुवचन, निंदा, घात-प्रतिघात आदि तामसिक अवगुण की श्रेणी में गिनाए गए हैं, वे सब हिंसा के ही अस्त्र-शस्त्र हैं। व्यक्ति जब इनका प्रयोग करता है तो दूसरों से ज्यादा क्षति उसकी अपनी होती है। क्रोध तो वह घातक हथियार है जो क्रोध करने वाले का पहले खून जलाता है। इसी प्रकार क्रोध में तेज-तेज चिल्लाने और कटुवचन बोलने से जिह्वा के सेल्स (जीवाणु) नष्ट होते हैं। इस स्थिति में जीभ पर विराजमान रसायन (सलाइवा) क्षतिग्रस्त होता है। क्रोध की स्थिति में गला सूखने लगता है और सलाइवा के कम होने से पाचनतंत्र बिगड़ता है। इसी तरह घात-प्रतिघात में आंतरिकभय होता है जो शरीर के अनेक हिस्सों को कमजोर बनाता है। लोग मानसिक रोगी तक हो जाते हैं। अवसाद की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं।

उम्र बढ़ने पर भूलने की बीमारी तो तय ही है। इस प्रकार उक्त नकारात्मक रवैयों से दूसरों से पहले खुद के शरीर के जीवनदायी तंत्र के साथ हिंसा होती है। इसीलिए ऋषियों-मुनियों ने इससे विरत रहने का उपदेश देते हुए 'अहिंसा परमो धर्मः' का सूत्र वाक्य दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता इसलिए भी अपनाया कि इससे आत्मशक्ति कमजोर नहीं हो पाती। वह आजादी का आंदोलन भी करते हैं तो उसके साथ 'सविनय अवज्ञा' का शब्द जोड़ते हैं। यही काम भगवान श्रीराम के वक्त अयोध्यावासियों ने भी किया जब श्रीराम को पिता दशरथ ने वनवास दे दिया तो अयोध्यावासी हिंसा के बजाय सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाते हुए अन्न-जल त्याग देते हैं। अयोध्या में कहीं भी दशरथ के निर्णय के विरोध में हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुईं। जनता के मूक विरोध को दशरथ झेल नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हुए अप्रिय और कटु वचन से बचने की सलाह देते हैं। अतः हर व्यक्ति को उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और क्रोध, कटुवचन आदि की जगह गीत-संगीत, भजन-कीर्तन करते हुए तन-मन को सशक्त बनाने का कार्य करना चाहिए।

सलिल पांडेय

इन हालातों में कैसे बचेंगे बाघ

ज्ञानेंद्र रावत

दुनिया में आज बाघों की कुल पांच प्रजातियां ही बची हैं। जबकि एक समय इनकी नौ प्रजातियां थीं

देश में बाघ संरक्षण और बाघों की बढ़ोतरी का दावा करते सरकार थक नहीं रही है, लेकिन मौजूदा हालात इसकी कतई गवाही नहीं दे रहे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दावों पर यकीन करें तो 2012 से लेकर 2018 के बीच देश में 656 बाघों की मौत हुई। इनमें 31.5 फीसद यानी 207 बाघों की मौत के पीछे अवैध शिकार तो अहम है ही, करंट का लगना भी एक प्रमुख कारण रहा है। प्राकृतिक रूप से हुई बाघों की मौत का आंकड़ा 295 के करीब है, जबकि 36 बाघ सड़क हादसे या रेल दुर्घटना में मारे गए। देश में 2014 की जनगणना अनुसार अनुमानतः 2226 बाघ हैं। इनमें से 40 फीसद अपने मुख्य निवास स्थानों के अलावा बाहर के इलाकों में रहते हैं। यदि देश के टॉप चार टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में 215 बाघ, कर्नाटक के बांदीपुर में 120 और नागरहोले में 101, असम के काजीरंगा में 103 बाघ हैं। अपने निवास स्थान के बाहर रहने वाले बाघ अक्सर अवैध शिकार की चपेट में आ जाते हैं या फिर इंसानी टकराव के कारण मारे जाते हैं। वैसे असलियत यह है कि बाघ संरक्षित क्षेत्र हों या फिर अभयारण्य, कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। बाघों का अवैध शिकार करने वाले शिकारी हों या फिर बाघों के अंगों का व्यापार करने वाले तस्कर, वन माफिया, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों और पुलिस की साठगांठ के चलते बाघों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि बीते तीन वर्षों में तकरीब 300 करोड़ से अधिक की वन्यजीव उत्पादों की बरामदगी यह साबित करती है कि वन्यजीव तस्करों को किसी का भय नहीं है।

दुनिया में आज बाघों की कुल पांच प्रजातियां बची हैं। जबकि एक समय नौ प्रजातियां थीं। इस समय बंगाल टाइगर जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, साइबेरियन, साउथ-चाइना, इंडो-चाइनीज एवं सुमात्रा प्रजाति के टाइगर अभी बचे हैं। जबकि बाली, जावा एवं एक अन्य प्रजाति के टाइगर अब विलुप्त हो चुके हैं। दुनिया में 70 फीसद बाघ भारत में हैं। बंगाल टाइगर उत्तर-पूर्वी इलाके सहित पूरे देश और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाया जाता है। यदि इन शेष प्रजातियों के संरक्षण में हम नाकाम रहे तो बाघ नाम की प्रजाति के दुनिया में दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। अगर संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट की मानें तो दुनिया में बाघों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखना मौजूदा हालात में उनके प्राकृतिक आवासों के लिए खतरा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण बाघ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। देश में अभी तक तीन बार बाघों की गणना हुई है। 2006, 2010 और 2014 में हुई गणना में देश में बाघों की तादाद 1411, 1706 और 2226 बताई गई। जबकि 2014 में भी वन्यजीव विशेषज्ञों ने 2226 की तादाद पर संदेह व्यक्त किया था। फिर झारखंड में माओवादियों की धमकी के चलते बाघों की गणना रोक दी गई थी। जब देश में बाघों के शिकार पर अंकुश ही नहीं है और हर साल सरकार के आंकड़ों के अनुसार तकरीब 31 से ज्यादा बाघ शिकारियों द्वारा मारे जा रहे हैं। ऐसी हालत में बाघों की तादाद में बढ़ोतरी का दावा बेमानी है।

(लेखक पर्यावरणविद् हैं)

भारतीय मन दर्शन को समझें नेता

धर्म की महत्ता से अनजान वामपंथी शीर्षक से लिखे अपने लेख में केसी त्यागी ने वामपंथी सरकारों की धर्म के प्रति अनभिज्ञता के साथ नकारात्मकता को रेखांकित किया है। सर्वप्रथम धर्म को समझना जरूरी है, धर्म की परिभाषा इस प्रकार है कि 'धार्यते इति धर्मः' अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। धारण क्या करना है, वे गुण जो असल में मानवीय आभूषण कहे जाते हैं। भारत जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक देश के संदर्भ में यदि इतिहास उठाकर देखें तो धर्म भारतीयों के अंतस में व्याप्त है, यह व्यवहार जगत में परिलक्षित भी होता है इसलिए भारत को धर्म से अलग करके देखना संभव ही नहीं है। वामपंथी विचारधारा पश्चिमी जगत से आयातित है जहां धर्म के अंग्रेजी रूपांतरण रिलीजन की परिभाषा भारतीय संदर्भ से सर्वथा भिन्न है इसलिए संभवतः वामपंथियों को भारत के धार्मिक स्वभाव का ज्ञान नहीं हो सका। वामपंथियों ने आरंभ से ही यहां लोगों के भीतर सदियों से भरे राष्ट्रभाव व धर्मभाव को दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया। भारत के इतिहास में जनता सदा ही सत्ता और धर्म को अलग-अलग लेकर बढ़ी है। किसका राज्य रहा और किसका गया इस बात ने भारत के मन को अधिक प्रभावित नहीं किया, क्योंकि अलग-अलग समय पर भारतीय जनमानस को संतों-महात्माओं ने दिशा दी है। राजनीतिक सत्ता भले किसी के भी हाथ चली जाए, लेकिन धार्मिक सत्ता सदा से कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, तुकाराम से लेकर देवरहा बाबा जैसे संतों के पास रही और इसने समाज को ज्ञान व भक्ति प्रदान कर मानवता के उच्च शिखर तक पहुंचाया। वामपंथी भारतीय जनमानस के इस दर्शन को समझने में असफल रहे हैं।

प्रखरादित्य द्विवेदी, गोरखपुर

मेलबाक्स

बेमेल गठबंधन विकास में बाधक

कहने को नेता जनसेवक होते हैं, लेकिन समयानुसार स्वयंसेवक भी बन जाते हैं। कर्नाटक में 10 कांग्रेस और 3 जद (एस) के बागी विधायकों को मनाने, सभी को मंत्री बनाने के स्पष्ट ऑफर में सभी वर्तमान मंत्रियों के इस्तीफे और नये मंत्रिमंडल गठन का आकर्षण सरकार को रिचार्ज करने की एक नई कवायद भर है, लेकिन ऐसी स्थिति में जनता के आदरणीय जनादेश व लोकतांत्रिक मूल्यों का उपहास उड़ाने के अलावा और क्या औचित्य रह जाता है? बकौल नेतागण जनता का काम सिर्फ वोट देना होता है। त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में सत्ता की खातिर जुगाड़ कर सरकार चलाने का काम जुझारू नेताओं के बाहुबल को ही जाता है? स्वार्थी, बेमेल, बोझिल व असामयिक गठबंधन को जो आम जनजीवन में ठहराव ले आए, राज्य की उन्नति में बाधक बने, प्रशासन को पंगु बनाए उसे सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है ।

दीपक गौतम, सोनीपत

ताकि छात्र-छात्राओं को न हो दिक्कत

दिल्ली विश्वविद्यालय की तीसरी सूची जारी हो चुकी है। इस बार ऐसे छात्र भी हैं, जो अच्छे अंक प्रतिशत लाने के बाद भी प्रवेश से वंचित हैं। उनको मन पसंद विषय नहीं मिल पा रहा है। दूरदराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी इस बात की हो रही है कि उन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिल रही है। जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है और जिस हिसाब से सीटों में इजाफा हुआ उस प्रकार से छात्रावास में सीटों की वृद्धि नहीं की गई है। आज भी पहले के मुकाबले वही सीटें चली आ रही हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ती है।

vijaykumardhania@gmail.com

मौत की झपकी

9 जुलाई को दैनिक जागरण में प्रकाशित संपादकीय 'जोखिम भरे रास्ते' पढ़ा। यमुना एक्सप्रेस वे पर उस वक्त फिर से दर्द भरे हादसों की चीख गूंज उठी, जब तेज रफ्तार से चलने वाली बस के चालक को झपकी लगी और एक ही झटके में 29 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में सवाल है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों की दर्द भरी त्रासदी का सिलसिला कब खत्म होगा। यमुना एक्सप्रेस वे ही नहीं, देश के सभी एक्सप्रेस वे की हालत मौत का हाइवे की तरह बन गई है। हालांकि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने तेज रफ्तार पर नियंत्रण का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा निगरानी समिति ने सर्वे किया था, लेकिन सरकार इस पर अमल करने के बजाय लापरवाही की नींद सोती रही। सड़क हादसों के मामले में सरकार गंभीर नहीं लगती।

डॉ. नूतन कुमार सी पाटणी, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली काय 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन ए दान हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायाल तिरिक्त।